


न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

सचिन कुमार बनाम एस डी ओ पावटा

केस संख्या 220/2022 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
13.02.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा के पीठासीन श्री राजदीर सिंह यादव आर. ए. एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष विद्यार्थीन प्रकरण संख्या/2022 व उनवानी राजस्थान सरकार बनाम धृष्ट सिंह व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री राजदीर सिंह यादव आर. ए. एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र संक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी पावटा के पीठासीन अधिकारी श्री राजदीर सिंह यादव आर. ए. एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विलुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p>	


 (प्रकार राजपुरोहित)
 जिला कलक्टर
 जयपुर